संख्या-103/2025//001-910-23-12-2025-1901852

प्रेषक

रिपुन्जय गुप्ता,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ दिनांक 29 जुलाई, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में रोड सेफ्टी योजनान्तार्गत दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्य हेतु विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 19 चालू कार्यों पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या- 15409/CE-HQ1/RS/LKO/2025-26 दिनांक 14-07-2025, पत्र संख्या-15411/CE-HQ1/RS/AGR/2025-26 दिनांक 14-07-2025, पत्र संख्या-15412/CE-HQ1/RS/MRT/2025-26 दिनांक 14-07-2025, पत्र संख्या-15413/CE-HQ1/RS/MBD/2025-26 दिनांक 14-07-2025, पत्र संख्या-15432/CE-HQ1/RS/GKP/2025-26 दिनांक 17-07-2025, पत्र संख्या-15433/CE-HQ1/RS/ALI/2025-26 दिनांक 17-07-2025, पत्र संख्या-15479/CE-HQ1/RS/GON/2025-26 दिनांक 18-07-2025 तथा पत्र संख्या-15514/CE-HQ1/RS/BAN/2025-26 दिनांक 22-07-2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रोड सेफ्टी योजनान्तार्गत दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्य हेतु अधोलिखित तालिका में अंकित 19 चालू कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रू0 553.96 लाख (रूपये पॉच करोड़ तिरपन लाख छियानबे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण व शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	मुख्यालय का पत्रांक एवं दिनांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य का नाम /मार्ग का कोड	मूल स्वीकृति का शासनादेश व दिनांक	स्वीकृत मूल लागत/ प्रावैधिक स्वीकृत लागत	अब तक आवंटन	बचत समायोजन के पश्चात अवशेष	क्षेत्र से प्रस्तावित मांग/ मुख्यालय द्वारा संस्तुत मांग	प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12
1	15409/CE-HQ1/RS/LKO/2025-26 Dt- 14-07-2025	नि.ख.-3 खीरी	बिलरायांपनवारी मार्ग (राज्य मार्ग सं0-21) पर सड़क सुरक्षा का कार्य। 208660	48/2025/001-65-23-12-2025-23-12099-099-7-2025-दिनांक-06-03-2025	144.41	1.20	113.21	70.00/ 69.88	**69.88**
2		प्रा.ख. खीरी	जनपदलखीमपुर खीरी में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 के अन्तर्गतसीतापुर-गोला-अलीगंज-बिजुआ मार्ग (राज्य मार्ग सं0-135) पर रोड सेफ्टी का कार्य। 208662		103.67	0.01	87.27	62.91/ 62.91	**61.09**
3		प्रा.ख. खीरी	जनपदलखीमपुर खीरी में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 के अन्तर्गत लखीमपुर-मैगलगंज मार्ग (प्र0जि0मा0-14) पर रोड सेफ्टी का कार्य। 208663		160.00	0.08	135.06	68.30/ 68.30	**68.30**
4		नि.ख.-2 लखनऊ	गोसाईगंज बनी मोहान मार्ग (एस0एच0-136) से गुदौली आबादी	18/2025/001-1255-23-12-	91.95	45.97	28.21	24.50/ 0.62	**5.95**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

			(चैनेज 48.700 से 49.600 तक) चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षात्मक कार्य 185216	2024-23-12099-099-106-2024-दिनांक-17-01-2025					
5		नि.ख.-2 लखनऊ	अमौसीरेलवे स्टेशन से लखनऊ मोहान कि0मी0-20 वाया मौदा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) पर सड़कसुरक्षा का कार्य। 208622	48/2025/001-65-23-12-2025-23-12099-099-7-2025-दिनांक-06-03-2025	9.29	4.64	4.54	4.08/ 1.78	**1.78**
6		नि.ख.-2 लखनऊ	लखनऊमोहान मार्ग (राज्य मार्ग) पर सड़क सुरक्षा का कार्य। 208641		23.56	11.78	10.48	9.37/ 3.80	**3.80**
7		नि.ख.-2 लखनऊ	महाकुम्भ 2025 से आच्छादित लखनऊ मोहान मार्ग (एस0एच0-40) पर यातायात सुगम करने हेतु जंक्शन एवं सड़क सुरक्षा/सड़क सुधार का कार्य। (कि0मी0 19.0000 से 20.000 208750	50/2025//001-61-23-12-2025-23-12099-099-24-2025(1901852)-दिनांक-07-03-2025	78.95	39.47	34.27	30.58/ 12.14	**12.14**
8	15411/CE-HQ1/RS/AGR/2025-26 Dt- 14-07-2025	नि.ख.-2 आगरा	वित्तीयवर्ष 2024-25 में सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत जनपद आगरा में महात्मा गांधी मार्ग-2 पर बोदला चौराहा से एन0एच0-2 तक मार्ग के मध्य क्षतिग्रस्त डिवाईडर कानिर्माण/मरम्मत का कार्य। 210058	62 /2025//001-340-23-12-2025-1865682-दिनांक-27-03-2025	264.84	0.15	207.15	60.00/ 60.00	**60.00**
9	15412/CE-HQ1/RS/MRT/2025-26 Dt- 14-07-2025	प्रा.ख. बुलन्दशहर	जनपद बुलन्दशहर में प्रा0ख0 के अन्तर्गत हामिदपुर-सिकन्द्राबाद केचसर मार्ग (राज्य मार्ग) पर पड़ने वाले 05 चैराहे (चै0 80.300, 90.900, 65.00, 70.800, 72.900) एवं टी-जंक्शन (चै0 76.900,78.250, 82.900, 83.800, 66.200, 68.109, 68.700, 70.400) पर सड़क सुरक्षा का कार्य। 205055	35/2025/001-1254-23-12-2024-23-12099-099-107-2024-दिनांक-31-01-2025	90.30	54.28	27.09	27.09/ 27.09	**27.09 (कार्यपूर्णता के आधार पर)**
10	15413/CE-HQ1/RS/MBD/2025-26 Dt- 14-07-2025	प्रा.ख. सम्भल	वर्ष 2024-25 में रोड सेफ्टी के अन्तर्गत सम्भल जोया मार्ग (प्रमुखजिला मार्ग) पर पड़ने वाले 02 चौराहे (चै0 7.400, 11.900) एवं 03 टी-जंक्शन (चै0 3.400, 5.800, 12.650) पर सड़क सुरक्षा का कार्य। 185075	11/2025/002-1354-23-12-2024-23-12099-099-119-2024-दिनांक-16-01-2025	39.27	0.49	38.76	20.00/ 20.00	**20.00**
11		प्रा.ख. सम्भल	वर्ष 2024-25 में रोड सेफ्टी के अन्तर्गत सम्भल जोया मार्ग (एम0डी0आर0) के किमी0 15 में वर्ष 2024 में चिन्हित ब्लैक स्पॉट अकबरपुर गहरा का अल्पकालिक सुधार का कार्य। 185081	13/2025/001-1353-23-12-2024-23-12099-099-117-2024-दिनांक-17-01-2025	56.94	0.71	56.08	20.00/ 20.00	**20.00**
12		प्रा.ख. सम्भल	वर्ष 2024-25 में रोड सेफ्टी के अन्तर्गत सम्भल जोया मार्ग (एम0डी0आर0) के किमी0 17 में वर्ष 2023 में चिन्हित हॉट स्पॉट मनौटा पुल कादीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुधार का कार्य। 185084		67.51	0.84	66.44	25.00/ 25.00	**25.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13	15432/CE-HQ1/RS/GKP/2025-26 Dt- 17-07-2025	नि.ख. कुशीनगर	जनपद कुशीनगर में नेबुवा खड़डा मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) के चैनेज 3.00 (भुजौली बाज़ार) में चिन्हित ब्लैक स्पाट पर सड़क सुरक्षा का कार्य। (बी0एस0कोड - UP7198) 185217	18/2025/001-1255-23-12-2024-23-12099-099-106-2024-दिनांक-17-01-2025	104.41	10.50	81.11	50.00/ 50.00	**50.00**
14	15433/CE-HQ1/RS/ALI/2025-26 Dt- 17-07-2025	प्रा.ख. हाथरस	मथुरासादाबाद जलेसर अवागढ़ मार्ग (एस0एच0 -122) पर पड़ने वाले टी/वाई जंक्शन पर सड़कसुरक्षा का कार्य। 208682	48/2025/001-65-23-12-2025-23-12099-099-7-2025-दिनांक-06-03-2025	40.79	5.29	31.50	15.50/ 15.50	**15.50**
15		प्रा.ख. हाथरस	सादाबादजलेसर से करकौली मार्ग (अ0जि0मा0) पर पड़ने वालेटी/वाई जंक्शन पर सड़क सुरक्षा का कार्य। 208686		16.56	2.18	12.38	6.10/ 6.10	**6.10**
16		प्रा.ख. हाथरस	एन0एच0 93 से मांगरू सहपऊ शिखरा मार्ग (अ0जि0मा0) पर पड़ने वालेटी/वाई जंक्शन पर सड़क सुरक्षा का कार्य। 208687		10.78	1.59	8.09	3.90/ 3.90	**3.90**
17		प्रा.ख. हाथरस	मुरसानसादाबाद मार्ग (अ0जि0मा0) पर पड़ने वालेटी/वाई जंक्शन पर सड़क सुरक्षा का कार्य। 208701		8.03	1.91	5.12	2.50/ 2.50	**2.50**
18	15479/CE-HQ1/RS/GON/2025-26 Dt- 18-07-2025	प्रा.ख. बहराइच	बहराईच सीतापुर (एस0एच0 30बी) मार्ग के कि0मी0 8 व कि0मी0 24 में ट्रक ले बाई का निर्माण कार्य। 205022	28/2024/001-1336-23-12-2024-23-12002-001-7-2024-दिनांक-31-01-2025	343.46	239.09	103.04	85.93/ 85.93	**85.93**
19	15514/CE-HQ1/RS/BAN/2025-26 Dt- 22-07-2025	प्रा.ख. महोबा	वित्तीयवर्ष 2024-25 में सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत प्रमुख जिला मार्गों/अन्य जिलामार्गों/ग्रामीण मार्गों में रोड सेफ्टी का कार्य। 208679	48/2025/001-65-23-12-2025-23-12099-099-7-2025-दिनांक-06-03-2025	127.24	0.12	119.62	15.00/ 15.00	**15.00**
								योग	**553.96**

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1- विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

3- प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्यों के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की समस्त शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के आनलाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/ 2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के संबंध में वित्त (लेखा) अनु0-2 के कार्यालय ज्ञाप स0-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

7- विभागीय प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

8- प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

9- परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्तां (मु०-1), लोक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढ़ोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली क्षेत्रीय अभियन्ताओं आदि के वेतन से की जायेगी।

10- उपरिलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

11- उपरोक्त उल्लिखित कार्य के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये रू0 5,53,96,000 (रूपये पॉच करोड़ तिरपन लाख छियानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371400 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पाट का सुधार, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
रिपुन्जय गुप्ता
उप सचिव

पृ0संख्या-103/2025//001-910(1)-23-12-2025-1901852-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
4. प्रमुख अभियन्ता(ग्रामीण सडक), लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. सम्बन्धित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
9. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
10. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11. अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12. नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रिपुन्जय गुप्ता)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।